दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : Plex/Cir/461
दिनांक: 21.09.2026

को,
प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के संबंध में वर्ष 2027-28 के बजट प्रस्तावों के लिए सुझावों के संबंध में।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए प्रस्तावों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, जिसमें पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) संरचना की समीक्षा शामिल है।

इस संबंध में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विशिष्ट उत्पादों के लिए मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) के संबंध में अपने सुझाव साझा करें।

कृपया प्रत्येक उत्पाद के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करें, विशेष रूप से:

- आयात मूल्य और घरेलू मूल्य
- स्थापित क्षमता और स्वदेशी उत्पादन की संबंधित मात्रा
- पिछले 3 वर्षों के आयात/निर्यात संबंधी आंकड़े
- घरेलू आवश्यकताएँ और मांग एवं आपूर्ति की स्थिति
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि **निर्धारित प्रपत्र (संलग्न प्रारूप)** का उपयोग करते हुए, शुल्क दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप **राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव की सीमा का आकलन किया जाए।**

यहां से डाउनलोड करें : https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260921110641.xlsx

कृपया **22.09.2026 को या उससे पहले** bharti@plexconcil.org; shilpa@plexconcil.org पर अपने सुझाव साझा करें ताकि विभाग वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप दे सके।

हार्दिक सम्मान के साथ,

भारती परवे

उप निदेशक – व्यापार एवं नीति

प्लेक्सकॉन्सिल